दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 10/08/2017 का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

1	प्रो0 विजय कृष्ण सिंह	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो0 एस0के0 दीक्षित	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
3	प्रो0 श्रीमती [illegible] सिंह	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
4	प्रो0 एस0के0 सेन गुप्ता	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
5	प्रो0 जितेन्द्र मिश्र	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
6	प्रो0 [illegible] नाथ	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
7	डॉ0 [illegible] सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
8	प्रो0 सी0पी0 श्रीवास्तव	आचार्य, दर्शनशास्त्र विभाग	सदस्य
9	डॉ0 अनुराग द्विवेदी	उपाचार्य, समाज शास्त्र विभाग	सदस्य
10	डॉ0 राम प्रकाश यादव	वरिष्ठ शिक्षक, बुद्ध पी0जी0 कालेज, कुशीनगर	सदस्य
11	डॉ0 एस0एन0 शर्मा	अध्यक्ष, गुआक्टा	सदस्य
12	श्री शत्रोहन वैश्य	कुलसचिव	सदस्य
13	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव
14	प्रो0 सुमित्रा सिंह	आचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग	विशेष आमंत्रित
15	प्रो0 एन0पी0 भोक्ता	आचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग	विशेष आमंत्रित
16	प्रो0 शिवशंकर सिंह	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	विशेष आमंत्रित

1. (क) परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 20/07/2017 में अध्यक्ष के अनुमति से अन्य बिन्दु के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में *समिति ने सर्वसम्मति से छात्रहित के दृष्टिगत निर्णय लिया कि वार्षिक परीक्षा वर्ष–2017 में कतिपय महाविद्यालयों ने छात्रों का परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय में अभी तक जमा नहीं किया है, ऐसे महाविद्यालय दिनांक 27/07/2017 तक छात्रों का परीक्षा शुल्क अवश्य जमा कर दें, अन्यथा दिनांक 28/07/2017 से रू0 100.00 (रू0 एक सौ मात्र) प्रति छात्र की दर से अर्थदण्ड अलग से देय होगा, साथ ही इन महाविद्यालयों के विरुद्ध उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 37(2) के अन्तर्गत नियमानुसार सम्बद्धता वापसी की कार्रवाई की जायेगी,* के क्रम में कुछ महाविद्यालयों ने विशेष परिस्थितियों के कारण उक्त समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया है, तद्क्रम में विचार।

निर्णयः–समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त महाविद्यालयों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अंतिम रूप से दिनांक 12/08/2017 तक शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की, उसके उपरान्त उपरोक्त कार्रवाई की जाय।

(ख) प्राचार्य, महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर द्वारा अपने महाविद्यालय के बी0एड0 द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा वर्ष–2017 के सन्दर्भ में कतिपय शिकायत की गई है, जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि *"महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर की बी0एड0 द्वितीय वर्ष–2017 की प्रायोगिक परीक्षा निरस्त कर पुनः दूसरे परीक्षकों द्वारा कराने की कृपा करें। बी0एड0 द्वितीय वर्ष–2017 की प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने वाले परीक्षकों द्वारा की गयी अनियमितता की जाँच कराकर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे कि परीक्षा की शुचिता एवं गरिमा बनी रहे।"*

तद्क्रम में प्राचार्य द्वारा किये गये शिकायत के क्रम में माननीय कुलपति जी द्वारा प्रकरण की जाँच कर आख्या देने हेतु निम्न की एक समिति का गठन किया गया है–

1. संकायाध्यक्ष, शिक्षा शास्त्र विभाग।
2. प्रो0 एन0पी0 भोक्ता, शिक्षा शास्त्र विभाग।
3. प्रो0 सुमित्रा सिंह, शिक्षा शास्त्र विभाग।

जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या पर विचार।

निर्णयः–परीक्षा समिति के समक्ष जाँच आख्या रखी गई जिसके समस्त बिन्दुओं पर विस्तृत विचारोपरान्त समिति ने जांच समिति की संस्तुति "परीक्षा की गोपनीयता एवं शुचिता को बनाये रखने हेतु आवश्यक है कि दिनांक 22/07/2017 को हुई प्रायोगिक परीक्षा को निरस्त कर पुनः परीक्षा करायी जा सकती है" को स्वीकार करते हुए महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर की बी0एड0 द्वितीय वर्ष–2017 की प्रायोगिक परीक्षा पुनः कराये जाने का निर्णय लिया। इस सम्बन्ध में को–आप्टेड सदस्य डॉ0 एस0एन0 शर्मा, अध्यक्ष, गुआक्टा ने इस पर अपनी असहमति दर्ज कराया और अपना जो लिखित [illegible]

(घ) एम0एस0 (सर्जरी), वर्ष 2006, केन्द्र बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के परीक्षाफल सारणीयन पंजिका में हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड के आधार पर, अनुक्रमांक- 124210 पर अंकित अभ्यर्थिनी का नाम अर्चिका के स्थान पर अर्चिका गुप्ता तथा पिता का नाम- श्री सी0पी0 गुप्ता के स्थान पर श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता संशोधित करने हेतु प्रेषित डॉ0 अर्चिका गुप्ता के प्रतिवेदन दिनांक 07/07/2017 पर विचार।

(पत्रावली के प्रतिवेदन के साथ संलग्न हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र, एम0बी0बी0एस0 की अंकतालिका एवं उपाधि तथा आधार कार्ड में अभ्यर्थिनी का नाम- अर्चिका गुप्ता तथा पिता का नाम -श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता अंकित है। अभ्यर्थिनी द्वारा इस सम्बन्ध में शपथ पत्र भी संलग्न है।)

निर्णयः-- समिति ने विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रार्थीनी अर्चिका पुत्री श्री सी0पी0 गुप्ता, एम0एस0 (सर्जरी), वर्ष--2006, केन्द्र- बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर, अनुक्रमांक- 124210, के हाईस्कूल प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड के आधार पर अभ्यर्थिनी का नाम अर्चिका के स्थान पर अर्चिका गुप्ता तथा पिता के नाम में श्री सी0पी0 गुप्ता के स्थान पर श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता नाम संशोधित कर दिया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु:-

1. (क) समेस्टर परीक्षा वर्ष 2017 में महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर की भूतपूर्व छात्रों की प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा छात्रों की संख्या कम होने पर विश्वविद्यालय में कराने पर विचार-

निर्णयः--समिति ने छात्रहित में महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर वर्ष--2017 की भूतपूर्व छात्रों की प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा छात्रों की संख्या कम होने पर विश्वविद्यालय में कराने हेतु अनुमति प्रदान किया।

(ख) परीक्षा समिति के गठन के बिन्दु संख्या-(9) "Such other teachers not exceeding two in number as may be coopted by the Examination committee to serve as members of the Committee for a period of one year." के क्रम में परीक्षा समिति में एक सदस्य को-आप्ट करने पर विचार।

निर्णयः--समिति ने सर्वसम्मत्ति से विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रो0 विनोद कुमार सिंह को एक वर्ष के लिए परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में को--आप्ट किया।

(ग) अधिष्ठाता वाणिज्य संकाय, प्रो0 गोपीनाथ (वर्ष 2016 में वाणिज्य संकाय की उ0पु0 मूल्यांकन के समन्वयक) ने डॉ0 महेन्द्र कुमार सुल्तानिया, एच0आर0पी0जी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय खलीलाबाद, संतकबीरनगर के द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत वाणिज्य विषय में अनुदानित शिक्षकों एवं स्ववित्तपोषित शिक्षकों द्वारा नाम सहित, किस कक्षा (स्नातक/स्नातकोत्तर), किस प्रश्नपत्र एवं केन्द्र संख्या की उ0पु0, किन-किन तिथियों में मूल्यांकित की गई है, की सूचना मांगी गई है। जिसके क्रम में अधिष्ठाता वाणिज्य संकाय द्वारा यह अवगत कराते हुए कि मूल्यांकन एक अतिगोपनीय एवं अति संवेदनशील कार्य है, जिसे सार्वजनिक किया जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, के सम्बन्ध में विचार

निर्णयः--इस प्रकरण पर समिति द्वारा विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया जिसमें अधिष्ठाता (डीन) विधि संकाय भी सम्मिलित थे, समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि--

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन समय समय पर जारी शासनादेशों में विहित आदेशों/निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन की गोपनीयता, बनाये रखने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर एक ही स्थान पर केन्द्रीय मूल्यांकन कराया जाता है। जिसमें कई परीक्षा केन्द्रों की उत्तरपुस्तिकाएं मिलायी जाती है तत्पश्चात कोडिंग कराकर, उत्तरपुस्तिका परीक्षकों के समक्ष मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र का अनुक्रमांक एवं परीक्षा केन्द्र के नाम की गोपनीयता बनी रहे। साथ ही इस व्यवस्था में परीक्षक को किसी परीक्षार्थी के अनुक्रमांक की व परीक्षार्थी को किसी परीक्षक के नाम की जानकारी न होने से मूल्यांकन की शुचिता/गोपनीयता बरकरार रहती है।

ऐसी स्थिति में मूल्यांकन प्रक्रिया अतिगोपनीय एवं संवेदनशील होने के कारण परीक्षा की उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन सम्बन्धी किसी भी प्रकार का विवरण/सूचना सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है।

इस निर्णय से माननीय राज्य सूचना आयोग लखनऊ को अवगत करा दिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ समिति की कार्यवाही सम्पन्न हुई।